कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड.

पत्रांक नि. 1651 /3-1 दिनांक, देहरादून 06 अप्रैल, 2010.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव
प्रमुख वन संरक्षक, ग्राम वन पंचायत,
समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक,
समस्त मुख्य वन संरक्षक तथा
समस्त वन संरक्षक/निदेशक
वन विभाग, उत्तराखण्ड.

वेबसाइटwww.uttarakhandforest.org/
फैक्सः-0135-2741607, 2742641
ई-मेलः-**ccfpfmua@gmail.com** तथा
ccfpfm@rediffmail.com

विषयः- वन विभाग के अनुदान सं0-27 की आयोजनेत्तर/आयोजनागत योजनाओं पक्ष के विभिन्न मानक मदों की आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में.

सन्दर्भः- वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या ब-06 / दस-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31-3-2010 **(छायाप्रति संलग्न)**

महोदय,

सन्दर्भित शासनादेश की छायाप्रति आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जाती है, जिसके द्वारा विभागीय योजनाओं की मानक मद 24, 25, 29 तथा 42 (केवल लीसे के लिये) को शासन द्वारा साख सीमा मद के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है. शेष अन्य सभी मदों में आहरण हेतु कोषागार प्रणाली अपनायी जायेगी. कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें.

संलग्नक-उपरोक्तानुसार-1

भवदीय,

(श्रीकान्त चन्दोला)
अपर प्रमुख वन संरक्षक

<u>संख्या नि. 1651 (1)/3-1 उक्तदिनांकित.</u>

प्रतिलिपि मय संलग्नक के निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
2- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी /उप निदेशक, वन विभाग, उत्तराखण्ड.

संलग्नक-उपरोक्तानुसार-1

O/C

(श्रीकान्त चन्दोला)
अपर प्रमुख वन संरक्षक

संख्या- 01-06/X-2-2010-12(11)/2009

प्रेषक,

एम0एच0 खान
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2010

विषयः-वन विभाग के अनुदान सं0-27 की आयोजनेत्तर/आयोजनागत पक्ष के विभिन्न मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सं0-1270/3-3 दिनांक 30.01.2010 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त सम्बन्ध में वन विभाग के अनुदान सं0-27 की आयोजनेत्तर/आयोजनागत पक्ष के विभिन्न मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिए गए हैं :-

1. आयोजनागत व आयोजनेत्तर पक्ष के मानक मद सं0-24, 25 व 29 साख-सीमा प्रणाली से आहरित किया जाय।
2. आयोजनेत्तर पक्ष के मानक मद सं0-42-अन्य व्यय (केवल लीसा निर्ष्कषण सम्बन्धी) का आहरण साख-सीमा प्रणाली से किया जाय।
3. आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष के मानक मद सं0-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र तथा 42-अन्य व्यय(लीसा निर्ष्कषण के अतिरिक्त) को वित्त विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित कोषागार प्रणाली से ही आहरित किया जाय।

3- ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-327(P)/XXVII(4)/2009, दिनांक 27 मार्च, 2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(एम0एच0 खान)
सचिव

संख्या- 01-06(1)/X-2-2010, तददिनांकित.

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

पंजी.सं. 6057
3-2
5-4-10

My Computer/D:/Ansari/ Letter 2009